न्यायालय भूप्रबन्ध अधिकारी एव पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी बीकानेर

महावीर खराड़ी आर0ए0एस0

अपील सं0 27/2012

1. करणी सिह पुत्र गुलाबसिंह जाति राजपुत निवासी गांव धीरासर तहसील सरदारशहर जिला चूरू ।
2. सुभाषसिंह पिसरान करणीसिंह जाति राजपुत निवासी गांव धीरासर तहसील सरदारशहर जिला चूरू ।
3. दशरथसिह पिसरान करणीसिंह जाति राजपुत निवासी गांव धीरासर तहसील सरदारशहर जिला चूरू ।
4. उम्मेदसिह पिसरान करणीसिंह जाति राजपुत निवासी गांव धीरासर तहसील सरदारशहर जिला चूरू ।

अपीलांटस

बनाम

1. श्रीमती सुमनकंवर पत्नी स्व0 जोगेंन्द्र उर्फ छैलूसिंह जाति राजपूत निवासी गांव धीरासर तहसील सरदारशहर जिला चूरू हाल निवासी वार्ड न0 21, पीलीबंगा जिला हनुमानगढ ।
2. कु0दिव्या नाबालिग पुत्री स्व0 जोगेंन्द्र उर्फ छैलूसिंह जाति राजपूत निवासी गांव धीरासर तहसील सरदारशहर जिला चूरू हाल निवासी वार्ड न0 21, पीलीबंगा जिला हनुमानगढ ।
3. कु0 पींकी नाबालिग पुत्री स्व0 जोगेंन्द्र उर्फ छैलूसिंह जाति राजपूत निवासी गांव धीरासर तहसील सरदारशहर जिला चूरू हाल निवासी वार्ड न0 21, पीलीबंगा जिला हनुमानगढ ।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पदेन उप– पंजीयक सरदारशहर जिला चूरू ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahaveer Kharadi
Date: 2022.05.06 16:49:21 IST
Reason: SelfAttested

रेस्पोडेण्टस

उपस्थितः– 1. श्री भीमनाथ सिद्व अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री ऋषिराज सिंह शेखावत अधिवक्ता रेस्पोडेन्टस

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सरदारशहर जिला चूरू के निर्णय व डिक्री दिनांक 13.03.2012 के विरूद्व अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम1955

निर्णय दिनांकः–26.03.2021

1. अपील के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार से है कि यह अपील उपखण्ड अधिकारी सरदारशहर जिला चूरू के निर्णय व डिक्री दिनांक 13.03.2012 के विरूद्व न्यायालय हाजा में पेश हुई है । वादगत कृषि भूमि ख0न0 532/32 तादादी 96.14 बीघा, ख0न0 538/21 तादादी 14.16 बीघा कुल तादादी 111.10 बीघा रोही गांव धीरासर तहसील सरदारशहर जिला चूरू में स्थित है जिसमें अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय व डिक्री बिना किसी साक्ष्य व सबुत के एकपक्षीय कार्यवाही करते हुऐ जारी की जिस हेतु यह अपील प्रस्तुत की है ।

2. अपीलांट् पक्ष के योग्य अभिभाषक ने अपने अपील मोमो के तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में कथन किया है कि वादगत कृषि भूमि ख0न0 532/32 तादादी 96.14 बीघा, ख0न0 538/21 तादादी 14.16 बीघा कुल तादादी 111.10 बीघा रोही गांव धीरासर तहसील सरदारशहर जिला चूरू में स्थित है जिसमें में से रेस्पो0/वादीगण की सयुक्त परिवार की पैतृक एवं अविभाजित कृषि भूमि में उनका 1/5 हिस्सा बनता है इसलिये इस कृषि भूमि में से 1/5 हिस्से के खातेदारी के अधिकारों की उनके नाम से घोषणा की जाकर इस 1/5 हिस्सा भूमि पर राजस्व अभिलेख ने खातेदारी उनके नाम से अलग से दर्ज की जानी चाहिये थी जब कि वादगत कृषि भूमि ख0न0 532/32 तादादी 96.14 बीघा में से 88 बीघा भूमि अपीलांट बंदोबस्त काश्तकार होने से मुल ख0न0 32 तादादी 176.01 बीघा की खातेदारी 1/2 हिस्सा हमेशा से अपीलांट/प्रतिवादी स0 1 का हमेशा से रहा है जो रकबा 88 बीघा बनता है और इस ख0न0 की शेष 1/2 हिस्से की खातेदारी अपीलांट/प्रतिवादी सं0 1 [illegible] पृथ्वीसिंह के नाम से अंकित चली आ रही है जिसमें से उनके [illegible] होने के पश्चात 1/2 हिस्सा अपीलांट/प्रतिवादी को मिला है जो उनके [illegible] से खातेदारी में चला आ रहा था वह 1/2 हिस्सा अपीलांट/[illegible] स्वअर्जित है जिसे पैतृक भूमि कहकर दावा पेश करने की वादी/रेस्पो0 [illegible] 3 को कोई अधिकार प्राप्त नही है अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विभाजन प्रस्ताव दिनांक 09.01.12 को पेश किया जबकि विभाजन के दावे में प्रारम्भिक डिक्री जारी होने के पश्चात अतिंम डिक्री हेतु

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahaveer Kharadi
Date: 2022.05.06 16:49:21 IST
Reason: SelfAttested

विभाजन प्रस्ताव में पक्षकारान को विधिवत सुनवाई एवं नोटिस दिया जाना कानूनन आवश्यक है परन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलांट/प्रतिवादीगण को बिना नोटिस एवं सुनवाई का अवसर दिये एक पक्षीय विभाजन प्रस्ताव मंगवाकर उन पर अपीलांट/प्रतिवादी से कोई आपत्तियां न मांगकर ओर न ही मौके पर किसी राजस्व अधिकारी के आधार पर प्रस्ताव बनाया जाकर अपीलांट/प्रतिवादीगण को बिना सूचना दिये दिनांक 13.03.12 को अतिंम डिक्री व निर्णय पारित कर दिया गया जो निरस्त करने योग्य है । इस प्रकार उपरोक्त तमाम तथ्यों के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री खारिज योग्य है जिसे खारिज किया जाकर अपील अपीलांट स्वीकार की जावे ।

3. रेस्पोडेन्टस अभिभाषक ने अपीलांट पक्ष के अभिभाषक के तथ्यों को नकारते हुऐ अपनी बहस में कथन किया कि वादगत कषि भूमि ख0न0 532/32 तादादी 96.14 बीघा, ख0न0 538/21 तादादी 14.16 बीघा कुल तादादी 111.10 बीघा रोही गांव धीरासर तहसील सरदारशहर जिला चूरू में स्थित जो रेस्पो0/वादीनी के पति स्व0 जोगेन्द्रसिंह पुत्र करणीसिंह के पुर्वजो की पुश्तैनी खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि रही है । जिसमें रेस्पो0/वादी सं0 1 के पति व 2 ता 3 के पिता जोगेंन्द्रसिंह पुत्र करणीसिह की मृत्यु दिसम्बर 2004 में मोटर दुर्घटना में हो जाने के कारण रेस्पो0/वादी सं0 1 ता 4 वादगत भूमि के जायज वारिसान होने से अविभाजित 1/5 हिस्से की सहखातेदार,सयुक्त काबिज काश्तकार है तथा शेष 4/5 भूमि रेस्पो0/वादी सं0 1ता 4 बहिस्सा बराबर कानूनन खातेदार काबिज काश्तकार है । वादगत कृषि भूमि पैतृक पुश्तैनी होने से रेस्पो0/वादीगण अधिनस्थ न्यायालय से अपने जायज खातेदारी अधिकारों की घोषणा, राजस्व रेकार्ड में दुरूस्ती करवाकर 1/5 हिस्से की भूमि की खातेदारी बहिस्सा बराबर दर्ज करवाने की कानूनन अधिकारिनी होने से अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.03.2012 जारी की है जो कानूनन रूप से सही है अतः अपील अपीलांट खारिज किये जाने योग्य है ।

4. मियाद के बिन्दु पर बहस सुनी गयी एव अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 अवधि अधिनियम का अवलोकन किया गया एवं प्रस्तुत शपथ पत्र पर विश्वास करते हुऐ अपील अन्दर मियाद स्वीकार की जाती है ।

5. हमने उभय पक्ष अभिभाषकगण की बहस व अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया जिससे यह साबित होता है कि वादगत कृषि भूमि ख0न0 532/32 तादादी 96.14 बीघा, ख0न0 538/21 तादादी 14.16 बीघा कुल तादादी 111.10 बीघा भूमि अपीलांट/प्रतिवादी व रेस्पो0/वादीगण की पैतृक भूमि है जो स्व0 ज्ञानसिंह से पृथ्वीसिंह व पृथ्वीसिंह [illegible] सिंह के हिस्से में आई हुई प्रतीत होती है । अपीलांट अभिभाषक द्वारा अपनी [illegible] में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए साक्ष्य सबुत [illegible] न करने का अवसर प्रदान किये बिना निर्णय करने की बात कही है [illegible] पक्षकारों को सम्मन तामील करवाये बिना एक पक्षीय निर्णय पारित किया जाना बताया गया किन्तु इस न्यायालय द्वारा अवसर प्रदान किये जाने पर भी अपीलांट अभिभाषक द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य सबुत पेश नही

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahaveer Kharadi
Date: 2022.05.06 16:49:21 IST
Reason: SelfAttested

किया है कि जिससे साबित हो कि वादगत कृषि भूमि उनके द्वारा स्व0अर्जित या उनको आवंटित की हुई कृषि भूमि है एवम पत्रावली में उपलब्ध सम्मन के अवलोकन से यह साबित होता है कि सभी पक्षकारों को सम्मन तामिल करवाये गये है । पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो से यह साबित है कि वादगत कृषि भूमि कोपासनरी कृषि भूमि है जिस पर करणीसिंह के सभी वारीसान का बहिस्सा बराबर हक है इसलिये यह न्यायालय अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 13.03.2012 में किसी तरह का रद्धोबदल करना उचित नही समझती है ।

6. अतः उक्त विवेचन एवं वि"लेषण के आधार पर अपीलाट की अपील खारीज की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी का निर्णय व डिक्री दिनांक 13.03.2012 की पुष्टि की जाती है । पत्रावली नम्बर से कम होकर दप्तर दाखिल हो अधिनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली मय निर्णय प्रति के लोटाई जावे ।

7. निर्णय आज दिंनाक 26.03.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(महावीर खराड़ी)

भूप्रबन्ध अधिकारी एवं

पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी

बीकानेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahaveer Kharadi
Date: 2022.05.06 16:49:21 IST
Reason: SelfAttested